

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.
“कर-भवन”, अजमेर

कमांक: एफ-7(507)परिपत्र/13/ 7060-7072

दिनांक: 30.7-13


अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक),
जयपुर

समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक),
राजस्थान

विषय : स्थानान्तरण होने पर नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलियों चार्ज में संभालने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायिक प्रकरणों की समीक्षा करने पर ध्यान में लाया गया है कि न्यायिक प्रकरणों में जवाब/रिट दायर करने की प्रभावी कार्यवाही निर्धारित समयावधि में इसलिये नहीं हो पाती है क्योंकि उप पंजीयक के पद पर स्थानान्तरण होकर नवीन पदस्थापित अधिकारी द्वारा पूर्व उप पंजीयक द्वारा कार्यालय की न्यायिक प्रकरणों की पत्रावलियों का चार्ज संभलाये बिना ही फॉर्मल चार्ज देकर रिलीव हो जाते हैं।

अतः निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में स्थानान्तरण के फलस्वरूप पदस्थापित नवीन उप पंजीयक को पूर्व उप पंजीयक उनके कार्यालय की न्यायिक प्रकरणों की मूल पत्रावलियों का चार्ज दिये बिना रिलीव नहीं किया जावे।



महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

कमांक: एफ-7(507)विधि/न्याय वेब/13/ 7073-7423

दिनांक: 30.7-13

संयुक्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वित्त सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर को बैठक दिनांक 08.07.13 में दिये निर्देशों की पालना में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. महालेखाकार, लेखापरीक्षा-II, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त रजिस्ट्रार, (न्यायाधीशों का पुस्तकालय) उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली। (पांच प्रतियों में)
7. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी, मुख्यालय, अजमेर।
11. लेखाधिकारी, मुख्यालय, अजमेर।
12. उप/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय-अजमेर।
13. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
14. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
15. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
16. नलिन जी. नारायण डिप्टी काउंसिल राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर
17. श्री के.के. बिस्सा, राजकीय अभिभाषक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
18. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
19. ए.सी.पी., मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
20. प्रोग्रामर, मुख्यालय, अजमेर।
21. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
22. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक।
23. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।


उप विधि परामर्शी
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर